न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी कोलायत

बइजलास – श्री प्रदीप कुमार आर.ए.एस.

वाद संख्या 07/2022

मयूर चांवरिया पुत्र सुरेन्द्र कुमार चांवरिया जाति हरिजन निवासी कजराज जी मन्दिर के पास, नत्थूसर गेट के बाहर, हरिजन बस्ती, बीकानेर तहसील बीकानेर जिला बीकानेर

.... वादी

बनाम

1. पूनमचन्द पुत्र राधा पत्नी सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी खजोडा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. रामूराम पुत्र राधा पत्नी सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी खजोडा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
3. सत्यनारायण पुत्र पाबुराम जाति मेघवाल निवासी किशनेरी कानसिह की सिड तहसील बाज जिला जोधपुर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व कोलायत।

.... प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–

1. रामचन्द्रसिंह भाटी अधिवक्ता वादी
2. अरूण राठौड अधिवक्ता प्रतिवादी
3. पैरोकार राज

–: निर्णय :–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत

दिनांक :– 24.02.2022

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते की भूमि ग्राम नोखडा में खसरा नंबर 76 तादादी 18.1076 हैक्टर, खसरा नम्बर 96 तादादी 11.5196 हैक्टर कुल तादादी 29.6272 हैक्टर है जिसमे वादी का 2/3 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/9 एवं प्रतिवादी संख्या 3 का 1/9 हिस्सा है। वादी अपने हक हिस्से तक प्रतिवादीगण के साथ अच्छी से अच्छी व मंदी सें मंदी भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन करवांने की अधिकारी है व इसी गर्ज से वाद पेश किया है। प्रत्युतर में प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब पेश किया कि वादी स्वंय खाता विभाजन नहीं करवाना चाहती बल्कि प्रतिवादी स्वंय खाता विभाजन करवाने को तैयार है, तत्पर है। वाद स्वीकार किया जाकर सहमति के आधार पर प्राथमिक डिकी जारी किये जाने के आदेश फरमाया जावे। वाद में विवाद की स्थिति नहीं होने व वादी एंव प्रतिवादी के मध्य खाता विभाजन करवाने के लिए आपसी सहमति होने से वाद में तनकियात व अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होने से वाद गुणावगुण पर निस्तारित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

Scanned with CamScanner

उभय पक्ष की बहस समायत की गई। वकील वादी ने निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा में निहीत उसके हक अधिकारों पर विपरीत असर डाले बगैर आराजी मुतनाजा का खाता विभाजन किया जावे प्रत्युत्तर में प्रतिवादी के वकील ने निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा का वादी एंव प्रतिवादी के मध्य उनके हिस्से अनुसार खाता विभाजन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया, उभय पक्ष की बहस पर विवेचन किया। वाद मुख्यतः खाता विभजन के लिए है। पक्षकारों में आपसी सहमति होने से वाद स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार राजस्व, कोलायत ग्राम नोखडा के खसरा नंबर 76 तादादी 18.1076 हैक्टर, खसरा नम्बर 96 तादादी 11.5196 हैक्टर कुल तादादी 29.6272 हैक्टर भूमि में वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस अच्छी से अच्छी व मन्दी से मन्दी भूमि के प्रस्ताव तैयार कर खाता विभाजन के प्रस्ताव तैयार कर लगान कायम कर, नक्शा में रंग प्रदर्शित कर प्रस्ताव प्रस्तुत करे।

प्राथमिक डिकी पृथक से जारी की जाकर तहसीलदार राजस्व, कोलायत से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2022 को लिपिबद्व करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप कुमार)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला बीकानेर
कोलायत

निर्णय डिकी की प्रति तहसीलदार राजस्व, कोलायत को पालनार्थ प्रेषित है।

(प्रदीप कुमार)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला बीकानेर
कोलायत

Scanned with CamScanner